



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-31082024-256806
CG-MP-E-31082024-256806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3388]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/ भाद्र 8, 1946

No. 3388]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/ BHADRA 8, 1946

रेल मंत्रालय

पश्चिम मध्य रेलवे (गतिशक्ति यूनिट, भोपाल)

अधिसूचना

भोपाल, 30 अगस्त, 2024

का. आ. 3718(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम, 2008) की धारा 2 के खण्ड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मध्य प्रदेश राज्य के, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित जिले में विशेष रेल परियोजना " गुना बायपास लाइन" के सम्बंध में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम. सं.	सक्षम अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	संयुक्त कलेक्टर	गुना

[फा. सं. WCR. BPL 0 GSU (GSMS)/6/2024/GUNA]

देवाशीष त्रिपाठी, मंडल रेल प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS**WEST CENTRAL RAILWAY (GATI SHAKTI UNIT, BHOPAL)****NOTIFICATION**

Bhopal, 30 August, 2024

S.O. 3718(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railway Act, 1989, (Railway Amendment Act, 2008) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway project of “Guna Bypass Line” in the state of Madhya Pradesh relating to District mentioned in column (3) of the table below for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1.	Joint Collector	Guna

[F. No. WCR. BPL 0 GSU (GSMS)/6/2024/GUNA]

DEVASHISH TRIPATHI, Divisional Railway Manager